

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 18.06.18

न्यायालय: वरुण कुमार शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश
वर्ग-2, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 138ए/2018 ई.दी

अन्जुम खा आदि

विरुद्ध

मंगल सिंह आदि

18.06.18

प्रकरण माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार अंतरण पर प्राप्त। प्रकरण पंजी अ में दर्ज किया जाए।

वादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

प्रतिवादीगण अनिर्वाहित।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि वादीगण की ओर से यह दावा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष के लिए दिनांक 21.09.17 को प्रस्तुत किया गया था इसके पश्चात् प्रकरण दिनांक 16.11.17, 11.01.18, 07.04.18 को नियत किया गया था। प्रकरण में वादीगण की ओर से आदेशिका शुल्क प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिस कारण से प्रतिवादीगण को समंस जारी नहीं किया जा सका था। न्यायालय के द्वारा बार-बार आदेशित किए जाने पर भी वादीगण की ओर से आज दिनांक तक आदेशिका शुल्क प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वादी का दावा आदेशिका शुल्क के अभाव में खारिज किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम विधिवत पंजी में दर्ज कर विहित समय अवधि के भीतर अभिलेखागार में जमा किया जाए।

(वरुण कुमार शर्मा)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

गोहद